

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

ज्ञान प्रकाश

बनाम

बिहार राज्य

2017 की आपराधिक अपील (ए.न्या.) सं. 2426

[के साथ 2017 की आपराधिक अपील (ए.न्या.) सं. 2466]

31 अगस्त 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेन्द्र सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या अभियोजन पक्ष धारा 304-ख भा.दं.सं. के आवश्यक तत्वों को सिद्ध करने में सफल रहा?

हेडनोट्स

गवाह संख्या 2 से 10 तथा गवाह संख्या 13-14 के साक्ष्य पूर्णतः अभियोजन के आरोपों के पक्ष में जाते हैं और इन सभी गवाहों ने यह आरोप पूर्णतः समर्थित किया कि अभियुक्तों ने विवाह के बाद पीड़िता को सोने की चेन और मोटरसाइकिल की मांग को लेकर प्रताड़ित करना शुरू किया और उसी प्रताड़ना के कारण सूचक ने सोने की चेन की मांग पूरी की।

(कंडिका 13)

मृतका के शव पर पाए गए चोटों का विवरण, जो उसके शव परीक्षण प्रतिवेदन में दर्ज है, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मृत्यु से ठीक पहले उसे शारीरिक क्रूरता का शिकार बनाया गया और अभियुक्तों ने उसका गला घोटकर हत्या कर दी। (कंडिका 18)

अभियोजन यह सिद्ध करने में सफल रहा कि सभी अभियुक्त पीड़िता को मोटरसाइकिल की मांग के लिए प्रताड़ित करते थे और अंततः उन्होंने उसे बेरहमी से मारा-पीटा तथा मृत्यु से ठीक पहले शारीरिक प्रताड़ना दी और मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने पर गला घोटकर

उसकी हत्या कर दी और शव को छिपाने के लिए रेलवे स्टेशन के पास फेंक दिया। (कंडिका 23)

अपीलें खारिज की जाती हैं, केवल कारावास की सजा की अवधि में संशोधन किया जाता है। (कंडिका 28)

न्याय दृष्टान्त

कोई विशेष उल्लेख नहीं।

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860: धारा 304-ख, 201, 34; दहेज निषेध अधिनियम, 1961: धारा 3 व 4

मुख्य शब्दों की सूची

दहेज मृत्यु; धारा 304-बी भा.दं.सं.; धारा 201 भा.दं.सं.; क्षत-विक्षत शव; साक्ष्य छुपाना; सज़ा में कमी; दहेज की माँग; मोटरसाइकिल व सोने की चेन; शव की पहचान

प्रकरण से उत्पन्न

सत्र वाद संख्या 52/2007, हाजीपुर सदर थाना कांड संख्या 415/2002 से उत्पन्न

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अभियुक्तगण की ओर से: श्री विक्रम देव सिंह, अधिवक्ता; श्री मुकुन्द मोहन झा, अधिवक्ता; श्री अक्वैब खान, अधिवक्ता

राज्य की ओर से: श्रीमती अनीता कुमारी सिंह, स.लो.अ.

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में**2017 की आपराधिक अपील (ए.न्या.) सं. 2426**

थाना कांड सं. 415 वर्ष 2002 थाना- हाजीपुर सदर, जिला- वैशाली से उद्भूत

=====

ज्ञान प्रकाश, पिता- द्वारिका राय, निवासी, गाँव और डाकघर- बलवा कुवारी, थाना- सदर
हाजीपुर, जिला- वैशाली

.....अपीलकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

.....उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2017 की आपराधिक अपील (ए.न्या.) सं. 2466

थाना कांड सं. 415 वर्ष 2002 थाना- हाजीपुर सदर, जिला- वैशाली से उद्भूत

=====

1. अजय राय उर्फ अजय कुमार राय, पिता- द्वारिका राय,
2. अनीता देवी, पति- अजय राय,
3. द्वारिका राय उर्फ द्वारिका प्रसाद राय, पिता- स्वर्गीय मुनार राय, सभी निवासी, गांव धर्मगाछी, बलवा कुवारी, थाना- सदर हाजीपुर, जिला-वैशाली (हाजीपुर)

.....अपीलकर्ता/ओं

बनाम

बिहार सरकार

.....उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति:

(2017 की आपराधिक अपील (ए.न्या.) सं. 2426 में)

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री विक्रम देव सिंह, अधिवक्ता
श्री मुकुंद मोहन झा, अधिवक्ता
श्री अक्वैब खान, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्रीमती अनीता कुमारी सिंह, स.लो.अ.

(2017 का आपराधिक अपील (ए.न्या.) सं. 2466 में)

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री विक्रम देव सिंह, अधिवक्ता
श्री मुकुंद मोहन झा, अधिवक्ता

श्री अक्वैब खान, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्रीमती अनीता कुमारी सिंह, ए.पी.पी.

=====

गणपूर्ति : माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह

मौखिक निर्णय

दिनांक : 31-08-2023

1. चूँकि दोनों आपराधिक अपील दोषसिद्धि के एक ही फैसले से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए दोनों अपीलों का एक साझा निर्णय द्वारा एक साथ निपटारा किया जा रहा है।

2. चूँकि अपीलकर्ता सं. 3 2017 की आपराधिक अपील (ए.न्या.) सं. 2466, अर्थात्, द्वारका राय उर्फ़ द्वारका प्रसाद राय की इस अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई है, जैसा कि वैशाली (हाजीपुर) के पुलिस अधीक्षक, की प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, इसलिए 2017 की आपराधिक अपील (ए.न्या.) सं. 2466, उक्त अपीलकर्ता की सीमा तक समाप्त हो गई है और यह अब केवल अन्य अपीलकर्ताओं के संबंध में बनी रहेगी।

3. पक्षों को सुना गया।

4. दोनों अपील 2007 की सत्र परीक्षण मामला सं. 52, में विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, IV, वैशाली (हाजीपुर) द्वारा पारित दिनांकित 19.07.2017 के दोषसिद्धि के फैसले और दिनांकित 24.07.2017 के सजा के आदेश के खिलाफ दायर की गई हैं जो 2002 की हाजीपुर सदर थाना कांड सं. 415 से उत्पन्न हुआ है, जिसके तहत और जिसके अंतर्गत, अपीलकर्ताओं को भा.दं.सं. की धारा 304 (ख)/34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और भा.दं.सं. की धारा 201/34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 3 वर्ष के कारावास तथा रु. 5,000/- प्रत्येक के लिए, जुर्माने की सजा सुनाई गई है, जुर्माने का भुगतान न करने की स्थिति में, उन्हें तीन महीने के अतिरिक्त कारावास से गुजरना होगा और दोनों सजाओं को साथ-साथ चलाने का निर्देश दिया गया है।

5. अपीलकर्ताओं पर भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में भा.दं.सं.) की धारा 304 (ख) के साथ धारा 34 और धारा 201 के साथ धारा 34 के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया था। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि सूचक की पोती, ममता देवी का विवाह अपीलकर्ता/ज्ञान प्रकाश से कथित घटना के ठीक आठ महीने पहले हुआ था और शादी के समय पीड़ित के ससुराल वालों को पर्याप्त उपहार और दहेज दिया गया था, शादी के बाद, पीड़िता अपने ससुराल चली गई और वहां रहने लगी, लेकिन कुछ समय बाद, अपीलकर्ताओं ने हीरो होंडा मोटरसाइकिल और एक सोने की चेन की मांग पूरी न होने की शिकायत करना शुरू कर दिया, जो देने का वादा किया गया था, इसलिए अभियुक्त व्यक्तियों ने पीड़िता पर अपने मायके से उक्त चीजें मांगने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। उसके बाद, सूचक पीड़िता के ससुराल गया और अपीलकर्ताओं को समझाने की कोशिश की और उन्हें उनकी मांग पूरी करने का आश्वासन दिया और पीड़िता को वापस अपने मायके ले आया। सूचक द्वारा आगे आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ता/ज्ञान प्रकाश (पीड़िता का पति) घटना से ठीक ढाई महीने पहले पीड़िता को उसके मायके से अपने साथ ले गया था और उस समय, मांग के अनुसार सोने की चेन दी गई थी, लेकिन मोटरसाइकिल की मांग पूरी नहीं हो सकी, इसलिए अभियुक्त व्यक्तियों ने फिर से पीड़िता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और जब सूचक को अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा पीड़िता के साथ किए गए उक्त व्यवहार और क्रूरता की जानकारी मिली, तो वह सह-ग्रामीणों के साथ पीड़िता के ससुराल गया और उसे वापस ले आया और उसके बाद पीड़िता को पटना ले गया जहां उसका सिर की चोट के लिए इलाज किया गया और पीड़िता ने उसे बताया कि अभियुक्त व्यक्तियों ने मोटरसाइकिल की अपनी मांग पूरी न होने के कारण उसे लाठी, डंडे से बुरी तरह पीटा था। सूचक द्वारा आगे आरोप लगाया गया कि 26.10.2002 को, एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे टेलीफोन पर जानकारी दी कि अपीलकर्ताओं ने पीड़िता को जहर देकर मार डाला है और शव को भी छिपा दिया है और

फिर वह सह-ग्रामीणों के साथ पीड़िता (ममता देवी) के ससुराल गया और पाया कि अपीलकर्ता फरार थे और उसे पीड़िता का शव भी नहीं मिला और उस कमरे से जहर की दुर्गंध आ रही थी जिसमें पीड़िता रहती थी।

6. सूचना देने वाले ने उपरोक्त आरोपों के साथ लिखित प्राथमिकी दर्ज की और उस आधार पर 2002 का हाजीपुर सदर थाना कांड सं. 415, भा.दं.सं. की धारा 304 ख, 201 के साथ 34 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दर्ज किया गया था। जाँच पूरी होने के बाद, पुलिस ने प्राथमिकी के समान अपराधों के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया। इसके बाद, अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं पर भा.दं.सं. की धारा 304 (ख) के साथ 34 और 201 के साथ 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाया गया। मुकदमे के दौरान, मौखिक साक्ष्य में, अभियोजन पक्ष ने चौदह गवाहों की जांच की और निम्नलिखित दस्तावेजों को साबित और प्रदर्शित किया:-

प्रदर्श.1- लिखित प्राथमिकी पर सूचक के हस्ताक्षर;

प्रदर्श.2- शव परीक्षण प्रतिवेदन;

प्रदर्श.3- लिखित प्राथमिकी पर एक पृष्ठांकन;

प्रदर्श.4- औपचारिक प्राथमिकी पर संबंधित थाना के थाना प्रभारी (एसएचओ) के हस्ताक्षर।

7. मुकदमे के दौरान, मृतक के मृत शरीर की तस्वीर सहित उसकी तीन तस्वीरें भी पेश की गई जिन्हें X, X/1 और X/2 के रूप में चिह्नित किया गया था।

8. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के पूरा होने के बाद, अपीलकर्ताओं के बयान दं.प्र.सं. धारा 313 के तहत दर्ज किए गए और उनके खिलाफ पेश होने वाली मुख्य परिस्थितियों के बारे में उन्हें समझाया गया, जिस पर उन्होंने उक्त परिस्थितियों से इनकार किया और खुद को निर्दोष होने का दावा किया। बचाव में, अपीलकर्ताओं ने व.सा. 1, व.सा.

2 और व.सा. 3 के रूप में तीन गवाहों को पेश किया और उनकी जांच की और दस्तावेजी साक्ष्य में, उन्होंने तीन दस्तावेजों को प्रस्तुत किया, साबित किया और प्रदर्शित किया जो निम्नानुसार हैं:-

प्रदर्श. क- मृतक के चिकित्सा उपचार का एक पर्चा;

प्रदर्श. ख- मुखिया द्वारा जारी किया गया दिनांकित 28.10.2002

प्रमाण पत्र; और

प्रदर्श. ग- पीड़ित और अपीलकर्ता/ज्ञान प्रकाश की शादी की एक तस्वीर जिसे X के रूप में चिह्नित किया गया था।

9. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि पीड़िता के विवाह से पहले, तिलक समारोह के समय और विवाह के समय अपीलकर्ताओं द्वारा किसी भी प्रकार के दहेज की कोई मांग नहीं थी और दहेज की मांग के संबंध में, अभियोजन पक्ष द्वारा कोई भी साक्ष्य नहीं दिया गया था, इसलिए अपीलकर्ताओं के पास पीड़िता के ससुराल में रहने के बाद उससे मोटरसाइकिल और सोने की चेन की मांग शुरू करने का कोई कारण नहीं था और अभियोजन पक्ष उस विशिष्ट अवधि और समय को बताने में विफल रहा जब अपीलकर्ताओं ने पीड़िता या उसके मायके के सदस्यों से मोटरसाइकिल की मांग की थी और इस संबंध में, सूचक द्वारा लगाया गया आरोप काफी अस्पष्ट रहा। आगे यह तर्क दिया गया है कि कथित मांग के संबंध में सूचक के साक्ष्य के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच एक पंचायती बैठक हुई थी, लेकिन इसे साबित करने के लिए न तो कोई दस्तावेजी साक्ष्य और न ही कोई मौखिक साक्ष्य दिया गया था और अभियोजन पक्ष कथित रूप से अपीलकर्ताओं द्वारा पीड़िता से की गई मोटरसाइकिल और सोने की चेन की मांग को साबित करने में विफल रहा। यह भी तर्क दिया गया है कि वास्तव में मृतक की मृत्यु अतिसार के कारण हुई थी और इस संबंध में, जिस डॉक्टर ने मृतक का उक्त बीमारी के

लिए इलाज किया था, उसे व.सा. 2 के रूप में जांचा गया था और उक्त उपचार से संबंधित चिकित्सा पर्ची भी उक्त डॉक्टर द्वारा पेश और साबित की गई थी जिसे प्रदर्श. क के रूप में चिह्नित किया गया था और जब पीड़िता की हालत गंभीर हो गई, तो उसे पी.एम.सी.एच., पटना रेफर किया गया और रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मृतक के परिवार के सदस्यों को पीड़िता के निधन के बारे में सूचित किया गया और उसके बाद मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। यह भी तर्क दिया गया है कि एक अन्य महिला, राजकली देवी, जो शिव चंद्र राय की पत्नी थी, का मृत शरीर, जो पीड़िता की मृत्यु के कुछ दिनों बाद रेलवे प्लेटफॉर्म पर सड़ी-गली हालत में पाया गया था, को सूचक द्वारा वर्तमान मामले की पीड़िता का होने का दावा किया गया था और उसने मृत शरीर के छायाचित्र और कपड़े देखकर उक्त मृत शरीर की पहचान पीड़िता के रूप में की थी, लेकिन उक्त पहचान पूरी तरह से अविश्वसनीय है और सुनवाई के दौरान, अ.सा. 3, 8 और 10 ने गवाही दी कि उक्त महिला के मृत शरीर को दफना दिया गया था, इसलिए ऐसी स्थिति में, संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा मृत शरीर पर डी.एन.ए. परीक्षण किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने का कोई प्रयास नहीं किया और केवल मृत शरीर के छायाचित्र देखकर सूचक द्वारा की गई पहचान शरीर को पीड़िता का साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि एक महिला के मृत शरीर की बरामदगी के संबंध में, जिसे पीड़िता का होने का दावा किया गया था, 2002 का जीआरपी मुजफ्फरपुर थाना कांड सं. 117 पंजीकृत किया गया था, लेकिन उक्त मामले से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेज, जैसे कि मृत शरीर की पंचनामा प्रतिवेदन और शरीर पर मिले कपड़ों की जब्ती सूची, अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलकर्ताओं के मुकदमे में पेश और साबित नहीं किए गए थे और जो कपड़े उक्त महिला के शरीर पर पाए गए थे, जिसे बाद में सूचक द्वारा वर्तमान मामले की पीड़िता का होने का दावा किया गया था, उन्हें भी अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया था और

ये तथ्य यह दिखाने के लिए पर्याप्त हैं कि अभियोजन पक्ष एक महिला के बरामद मृत शरीर को वर्तमान मामले की पीड़िता का साबित करने में विफल रहा। यह भी तर्क दिया गया है कि अभियोजन गवाहों के साक्ष्य से यह प्रतीत नहीं होता है कि पीड़िता को उसकी मृत्यु से तुरंत पहले अपीलकर्ताओं द्वारा क्रूरता का शिकार होना पड़ा था, इसलिए भा.दं.सं. की धारा 304 ख के तहत दंडनीय अपराध को आकर्षित करने वाला मुख्य तत्व वर्तमान मामले में अनुपस्थित है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि विद्वत विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से उनके खिलाफ पेश होने वाले अपीलकर्ताओं को दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत अपने बयान दर्ज करते समय सभी परिस्थितियों के बारे में नहीं बताया और केवल इस आधार पर, अपीलकर्ता बरी होने के हकदार हैं।

10. राज्य की ओर से उपस्थित हुए विद्वान स.लो.अ. ने अपील का पुरजोर विरोध किया है और यह दलील दिया है कि पीड़िता की शादी के महज आठ महीने बाद ही उसकी हत्या कर दी गई थी और अपीलकर्ताओं द्वारा लिए गए बचाव विश्वसनीय और मानने योग्य नहीं हैं क्योंकि पीड़िता के शरीर पर, पूर्व-शव परीक्षण के घाव पाए गए थे और सूचक ने महिला के मृत शरीर की पहचान सही तरीके से पीड़िता के रूप में की थी और अभियोजन पक्ष भा.दं.सं. की धारा 304(ख) के मुख्य तत्वों को साबित करने में सफल रहा है ताकि अपीलकर्ताओं के खिलाफ दहेज मृत्यु का अपराध स्थापित किया जा सके और रेलवे स्टेशन पर मृत शरीर की बरामदगी का तथ्य, जो पीड़िता के ससुराल से 50 किलोमीटर दूर है, यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि अपीलकर्ताओं ने पीड़िता के मृत शरीर को छुपाया था, इसलिए भा.दं.सं. की धारा 201 के तहत कथित दंडनीय अपराध इस मामले में आकर्षित होता है और अपीलकर्ताओं को उक्त अपराध के लिए सही तरीके से दोषी ठहराया गया है।

11. दोनों पक्षों को सुना और विचारण न्यायालय के मामले के प्रतिवेदन में उपलब्ध साक्ष्य का अध्ययन किया।

12. दहेज मृत्यु के अपराध के संबंध में, अभियोजन पक्ष के लिए ऐसे अपराध में चशमदीद गवाह लाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दहेज मृत्यु के अधिकांश मामलों में, पीड़िता को उसके ससुराल के घर की चारदीवारी के भीतर मार दिया जाता है और जो लोग किसी पीड़िता के ससुराल के पास पड़ोसी के रूप में रहते हैं, उन्हें महत्वपूर्ण गवाह माना जा सकता है, लेकिन ऐसे लोग अपने सह-ग्रामीण और पड़ोसी होने के कारण पति और ससुराल वालों में रुचि रखते हैं, इसलिए उन्हें इच्छुक गवाह माना जा सकता है, इसलिए मेरी राय में, ऐसे अपराध में सबसे महत्वपूर्ण गवाह पीड़िता के माता-पिता के रिश्तेदार होते हैं। वर्तमान मामले में, पीड़िता, जो सूचक की पोती थी, का विवाह अपीलकर्ता/ज्ञान प्रकाश से कथित घटना से ठीक आठ महीने पहले हुआ था और सूचक के साक्ष्य के अनुसार, पति और अन्य अपीलकर्ताओं ने मोटरसाइकिल और एक सोने की चेन की मांग के लिए पीड़िता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था और उक्त मांग पूरी न होने के कारण, पीड़िता पर हमला किया था जिसके परिणामस्वरूप पीड़िता को सिर में चोट लगी थी जिसके लिए उसका पी.एम.सी.एच., पटना में इलाज किया गया था। हालांकि पीड़िता के पी.एम.सी.एच., पटना में उक्त इलाज के संबंध में, सूचक कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं कर सका, लेकिन उसने प्रति-परीक्षण में कहा कि पीड़िता के पी.एम.सी.एच. में इलाज से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेज अपीलकर्ता/द्वारिका राय के पास हो सकते हैं। चूंकि सूचक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता है और एक देहाती व्यक्ति प्रतीत होता है, इसलिए उससे यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह पीड़िता के चिकित्सकीय उपचार से संबंधित दस्तावेजों को अपनी सुरक्षित हिरासत में रखेगा और इसके अलावा अभियोजन पक्ष के अन्य महत्वपूर्ण गवाहों ने अपीलकर्ताओं द्वारा पीड़िता के साथ किए गए कथित शारीरिक हमले का समर्थन किया जिसके परिणामस्वरूप पीड़िता को सिर में चोट लगी। आरोप के अनुसार, सूचक ने अपीलकर्ताओं की सोने की चेन की मांग पूरी की और इसे अपीलकर्ता/ज्ञान प्रकाश को दिया और इस संबंध में, अभियोजन पक्ष ने अ.सा.1

को पेश किया और जांच की, जो एक आभूषण की दुकान चलाता है और उसने गवाही दी कि पीड़िता की शादी के लगभग छह महीने बाद, पीड़िता की मां ने उसे बताया कि अभियुक्त व्यक्ति पीड़िता से एक सोने की चेन और एक मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे और उसने उससे सोने की चेन बनाने के लिए कहा और फिर उसने सोने की चेन बनाई और उसे पीड़िता के परिवार को सौंप दिया और उस समय, अपीलकर्ता/ज्ञान प्रकाश पीड़िता के माता-पिता के घर पर मौजूद था। इस गवाह का साक्ष्य सूचक द्वारा अपीलकर्ता/ज्ञान प्रकाश को सोने की चेन की मांग को पूरा करने के तथ्य की पूरी तरह से पुष्टि करता है।

13. अ.सा. 2 से अ.सा. 10, अ.सा. 13 और अ.सा. 14 का साक्ष्य पूरी तरह से अभियोजन पक्ष के आरोप के पक्ष में जाता है और इन सभी गवाहों ने इस आरोप का पूरी तरह से समर्थन किया कि अपीलकर्ताओं ने शादी के बाद सोने की चेन और मोटरसाइकिल की मांग के लिए पीड़िता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था और उस यातना के कारण, सूचक द्वारा सोने की चेन की मांग को पूरा किया गया था। अभियुक्त व्यक्तियों को उक्त गवाहों द्वारा लगाए गए आरोपों की सच्चाई पर संदेह करने के लिए उक्त गवाहों की प्रति-परीक्षण में कोई तथ्य सामने लाने में सफलता नहीं मिली और सभी गवाह प्रति-परीक्षण में भी अपने रुख पर दृढ़ रहे और उनके साक्ष्य यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि सभी अपीलकर्ता समान रूप से पीड़ित से मोटरसाइकिल और सोने की चेन की मांग करने में शामिल थे और उन्हें यातना दी गई क्योंकि वह मोटरसाइकिल की उनकी मांग को पूरा करने में विफल रही। यद्यपि अभियोजन पक्ष ने उक्त मांग को साबित करने के लिए कोई स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया, लेकिन मुझे परीक्षण किए गए अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं मिलता है, जैसा कि वैवाहिक अपराधों में होता है, एक पीड़ित महिला आम तौर पर अपने माता-पिता के परिवार के सदस्यों को इस तरह की दहेज की मांग बताती है जिन्हें ऐसी मांग को साबित करने के लिए विश्वसनीय

व्यक्ति माना जा सकता है।

14. मुकदमे के दौरान, अपीलकर्ताओं ने मुख्य रूप से यह बचाव लिया कि पीड़िता की अतिसार के कारण मृत्यु हो गई और जब उसकी हालत बिगड़ गई तो उसे उसके पति सहित उसके ससुराल वाले एक स्थानीय निजी अस्पताल ले गए, जहाँ से उसे पी.एम.सी.एच., पटना भेजा गया, लेकिन रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि इस संबंध में, अपीलकर्ताओं ने संबंधित डॉक्टर को व.सा. 2 के रूप में पेश किया और जांच की, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने पीड़ित का अतिसार की बीमारी के लिए इलाज किया था और उक्त उपचार के चिकित्सा पर्चे को प्रदर्श. क के रूप में प्रदर्शित किया था। लेकिन मुझे लगता है कि उक्त बचाव विश्वसनीय नहीं है क्योंकि सबसे पहले, अपीलकर्ताओं ने केवल पीड़िता की उक्त बीमारी के संबंध में डॉक्टर का पर्चा प्रस्तुत किया था, लेकिन कोई अन्य दस्तावेज, जैसे कि चिकित्सा जाँच परीक्षण प्रतिवेदन, दवाओं की रसीद आदि, प्रस्तुत नहीं किए गए थे और दूसरा, उक्त डॉक्टर ने प्रति-परीक्षण में स्वीकार किया कि पीड़िता के पर्चा (प्रदर्श. क) पर कोई क्रमांक नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीड़िता की मृत्यु के तथ्य को अपीलकर्ताओं द्वारा पुलिस को सूचित नहीं किया गया था और उक्त तथ्य को व.सा. 1 द्वारा उसकी प्रति-परीक्षण में स्वीकार किया गया था, और बचाव पक्ष के गवाहों के साक्ष्य के अनुसार, पीड़िता के शरीर का अंतिम संस्कार जल्दबाजी में किया गया था और अंतिम संस्कार के समय, अपीलकर्ता/ज्ञान प्रकाश, द्वारिका राय, उनके ग्रामीण, व.सा. 1 और कुछ अन्य लोग मौजूद थे, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पीड़िता के माता-पिता के परिवार के सदस्य अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए थे, जो अपीलकर्ताओं के उक्त बचाव में गंभीर संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त है।

15. तदनुसार, मुझे अपीलकर्ताओं के बचाव में कोई बल नहीं मिला कि पीड़ित की अतिसार के कारण मृत्यु हो गई थी और उसके बाद सूचक और उसके माता-पिता

के परिवार के सदस्यों को सूचित करने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया था, जिन्होंने उस अंतिम संस्कार में भी भाग लिया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, कथित घटना के कुछ दिनों बाद ही पीड़ित का शव कुर्नी रेलवे स्टेशन पर बरामद किया गया था और चूंकि शव सड़ी हुई स्थिति में थी, इसलिए शवपरीक्षण के तुरंत बाद रेलवे पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन उससे पहले, शव की तस्वीरें ली गईं और जब सूचक को शव बरामद होने की जानकारी मिली, तो उसने पुलिस से संपर्क किया और मृत शरीर और उसके कपड़ों की तस्वीरें देखकर उक्त शव की पहचान पीड़िता के शव के रूप में की।

16. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि पुलिस ने वर्तमान मामले के पीड़ित के शव होने को सुनिश्चित करने के लिए डीएनए नमूना लेने के लिए कब्रिस्तान से शव को निकालने का कोई प्रयास नहीं किया।

17. मुझे उक्त तर्क में कोई सार नहीं मिलता है, क्योंकि सबसे पहले, जब शव बरामद किया गया था तो वह सड़ी हुई स्थिति में था और दूसरा, अभियोजन पक्ष के गवाहों ने केवल "दफनाना" शब्द का इस्तेमाल किया था और उक्त शब्द का उपयोग कभी-कभी देहाती ग्रामीणों द्वारा अंतिम संस्कार/दाह संस्कार के अपने अनुष्ठान के संबंध में किया जाता है, चाहे वह हिंदू हो या किसी अन्य धर्म का और इसके अलावा बरामद किए गए शरीर, पर पाए गए कपड़े सूचक के सामने पेश किए गए थे और उसी की पहचान उसने पीड़ित के रूप में की थी और उसने उसकी तस्वीरें देखकर शव की पहचान भी की थी, इसलिए मेरा विचार है कि सूचक द्वारा की गई पहचान बरामद शव को वर्तमान मामले के पीड़ित के शरीर के रूप में साबित करने के लिए पर्याप्त थी। तदनुसार, मुझे अपीलकर्ताओं के वकील के उपरोक्त तर्क में कोई बल नहीं मिलता है।

18. अ.सा. 11 के साक्ष्य के अनुसार, जिन्होंने बरामद शव का अन्त्य परीक्षण किया, शरीर के ठोड़ी, गर्दन, चेहरे और पीठ पर खरोंच के निशान पाए गए, और

उनके अनुसार, मृतक की मृत्यु दम घुटने के कारण हुई थी, जो गला घोटने के परिणामस्वरूप हुआ था। उनके अनुसार, शवपरीक्षण प्रतिवेदन में वर्णित चोट सं. 1 कथित गला घोटने के कारण हुई थी। मृतक के शरीर पर पाए गए चोटें, जिनकी चर्चा उनके शवपरीक्षण प्रतिवेदन में की गई है, स्पष्ट रूप से यह सुझाव देती हैं कि उनकी मृत्यु से ठीक पहले उन्हें शारीरिक क्रूरता का शिकार बनाया गया था और आरोपी व्यक्तियों ने उनका गला दबाकर हत्या कर दी थी।

19. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ताओं/अजय राय उर्फ अजय कुमार राय और अनीता देवी के खिलाफ दहेज की मांग और क्रूरता का कोई विशिष्ट आरोप नहीं है और अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह ने पीड़ित से कथित मोटरसाइकिल और सोने की चेन की मांग करने और उसके साथ कथित क्रूरता करने में उनकी विशिष्ट भूमिका का खुलासा नहीं किया है और उन्हें विचारण न्यायालय द्वारा मुख्य रूप से सामान्य और सर्वव्यापी आरोप के आधार पर दोषी ठहराया गया है जो कानून के तय किए गए सिद्धांतों के अनुसार उचित नहीं है।

20. मेरा मानना है कि उक्त तर्क में कोई दम नहीं है क्योंकि सभी अभियोजन गवाहों ने आरोप लगाया कि उक्त अपीलकर्ता भी पीड़िता से दहेज की मांग करने में शामिल थे और अपीलकर्ताओं को अपनी प्रति-परीक्षण के दौरान अभियोजन गवाहों से कोई भी ऐसा तथ्य सामने लाने में सफलता नहीं मिली जिससे यह पता चले कि अपीलकर्ताओं के पीड़िता के पति से अलग संबंध थे और घटना स्थल का निरीक्षण करने वाले जांच अधिकारी (अ.सा. 12) का साक्ष्य भी यह नहीं दर्शाता कि अपीलकर्ता पीड़िता के पति से अलग रह रहे थे। इसलिए, मुख्य आरोपों के उनके खिलाफ सामान्य और सर्वव्यापी होने के कारण, उन्हें निर्दोष नहीं माना जा सकता है।

21. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया गया है

कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से, अपीलकर्ताओं के खिलाफ पेश होने वाली सभी परिस्थितियों को दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत उनके बयान दर्ज करते समय उनके सामने नहीं रखा गया था, इसलिए मुख्य रूप से इस आधार पर आक्षेपित निर्णय कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है।

22. उक्त तर्क के आलोक में, मैंने दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत अपीलकर्ताओं के दर्ज किए गए बयानों की समीक्षा की है, यद्यपि उनके बयान बहुत संक्षिप्त तरीके से दर्ज किए गए थे, फिर भी विचारण न्यायालय ने उनसे मोटरसाइकिल की मांग और उनकी मृत्यु से ठीक पहले पीड़िता के साथ उनके द्वारा की गई शारीरिक मारपीट से संबंधित दो मुख्य परिस्थिति के बारे में पूछा था। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के सबूतों से उनके खिलाफ सामने आई अन्य परिस्थितियों को न रखने से उन्हें गंभीर रूप से कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ। इसके अलावा, अपीलकर्ताओं ने दोषी ठहराने वाले विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन गवाहों से उनके खिलाफ सामने आई सभी परिस्थितियों के गैर-स्पष्टीकरण का मुद्दा नहीं उठाया, और न ही इस संबंध में उन्होंने अपनी अपील के ज्ञापन में कोई आधार बनाया है, जो यह दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि अभियोजन पक्ष के सबूतों से उनके खिलाफ सामने आई परिस्थितियों के गैर-स्पष्टीकरण के कारण, उनमें से किसी को भी कोई पूर्वाग्रह महसूस नहीं हुआ। इसलिए, मुझे उक्त तर्क में कोई दम नहीं लगता।

23. अतः, उपरोक्त वर्णित तथ्यों और विचारण न्यायालय के अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में, मेरा विचार है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा कि सभी अपीलकर्ता मोटरसाइकिल की मांग को लेकर पीड़िता को प्रताड़ित करते थे और अंततः उन्होंने उसे बेरहमी से पीटा और उसकी मृत्यु से ठीक पहले उसे शारीरिक हमला भी किया और मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने के कारण गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को रेलवे स्टेशन के पास फेंककर छिपा दिया, इसलिए भा.दं.सं.

की धारा 304(ख) और 201 के तहत दंडनीय अपराधों को गठित करने वाले आवश्यक तत्व इस मामले में आकर्षित होते हैं, और विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को उक्त अपराधों के लिए सही तरीके से दोषी ठहराया है।

24. जहाँ तक 34 के साथ पठनीय धारा 304 (ख) के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ताओं को दिए गए कारावास की सजा की मात्रा का संबंध है, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और उनके परिवार के दायित्व से संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरा विचार है कि अपीलकर्ताओं को दी गई 10 साल के सश्रम कारावास की सजा अधिक प्रतीत होती है और यदि सजा को अपीलकर्ता/ज्ञान प्रकाश द्वारा की गई हिरासत की अवधि तक कम कर दिया जाता है, तो यह न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने और अन्य अपीलकर्ताओं को सात साल के कारावास की सजा के लिए पर्याप्त होगा। भा.दं.सं. की धारा 304 (ख)/34 न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी। तदनुसार, अपीलकर्ता/ज्ञान प्रकाश को भा.दं.सं. की धारा 34 के साथ पठित धारा 304 (ख) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दी गई 10 साल के सश्रम कारावास की सजा को उक्त अपीलकर्ता द्वारा इस निर्णय के जेल प्राधिकरण को सूचित किए जाने तक हिरासत में बिताई गई अवधि तक कम किया जाता है, और चूंकि उक्त अपीलकर्ता को भा.दं.सं. की धारा 201 /34 के तहत दी गई 3 साल की कारावास की सजा पूरी हो चुकी है, अतः 2017 की आपराधिक अपील (ए. न्या.) सं. 2426 में अपीलकर्ता/ज्ञान प्रकाश को उपरोक्त निर्देशानुसार तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, यदि उसकी हिरासत किसी अन्य मामले में आवश्यक नहीं है।

25. भा.दं.सं. की धारा 304 (ख)/34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ताओं/अजय राय उर्फ अजय कुमार राय और अनीता देवी को दिए गए 10 साल के सश्रम कारावास की सजा को घटाकर 7 साल कर दिया गया है, लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा भा.दं.सं. की धारा 201/34 के तहत दिए गए अपराध के लिए उनकी सजा

अपरिवर्तित रहेगी।

26. चूंकि 2017 की आपराधिक अपील (ए. न्या.) सं. 2426 के दोनों अपीलकर्ता, अर्थात् अजय राय उर्फ अजय कुमार राय और अनीता देवी, जमानत पर हैं और उनकी वर्तमान हिरासत अवधि आज तक 7 साल से कम है, इसलिए उनके जमानत पत्र एतद्द्वारा रद्द किए जाते हैं और उन्हें इस फैसले के विचारण न्यायालय को सूचित होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर दोषी ठहराने वाले विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है और भा.दं.सं. की धारा 304(ख)/34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपनी 7 साल की सश्रम कारावास की शेष अवधि को पूरा करने का निर्देश दिया जाता है।

27. यह स्पष्ट किया जाता है कि जुर्माने की सजा अपरिवर्तित रहेगी और अपीलकर्ता/ज्ञान प्रकाश को जुर्माने के भुगतान के बाद रिहा कर दिया जाएगा और यदि वह जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करता है तो उसे विचारण न्यायालय की सजा के अनुसार तीन महीने के कारावास से गुजरना होगा और अपीलकर्ता/अजय राय उर्फ अजय कुमार राय और अनीता देवी को भा.दं.सं. की धारा 304 (ख)/34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा में संशोधन के बाद उन्हें दिए गए सात साल के सश्रम कारावास की अवधि के अलावा तीन महीने के कारावास की उक्त अवधि से गुजरना होगा, यदि वे जुर्माने की राशि का भुगतान करने में चूक करते हैं।

28. नतीजतन, दोनों अपील निरस्त की जाती हैं, जिसमें भा.दं.सं. की धारा 34 के साथ पठित धारा 304 (ख) के तहत दंडनीय अपराध के लिए विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं को दी गई कारावास की सजा की मात्रा में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, संशोधन किया गया है।

29. इन अपीलों के अभिलेख तत्काल प्रभाव से विचारण न्यायालय

को लौटा दिए जाएं।

30. निर्णय की एक प्रति अभिलेख और अनुपालन के लिए संबंधित जेल के अधीक्षक को प्रेषित की जाए।

31. अंतर्वर्ती आवेदन/ओ, यदि कोई हो, भी लागू होते हैं, तदनुसार निपटाया जाता है।

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)

संजय/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।